कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(उत्पादन) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक मुवस/परिवहन/1139 दिनांक 16–3–2004

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषयः– बैलगाड़ी से वनोपज परिवहन करने बाबत।

संदर्भः– म0प्र0शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक 352/401/10/3/85 दिनांक 31 जनवरी 1985 एवं पत्र क्र. 30/51/79/10/3 दिनांक 22 अक्टूबर 1985 तथा वन महानिदेशन का पत्र क्र. निस्तार/123/1609 दिनांक 16–1–1986. (संलग्न है)

---0---

इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं बांस का परिवहन ट्रक, ट्रेक्टर एवं बैलगाड़ी द्वारा परिवहन कराया जाता है। सामान्यतः बैलगाड़ी से कम दूरी तक का परिवहन आसानी से किया जा सकता है। शासन द्वारा पूर्व में इस संबंध में समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत बैलागाड़ी से परिवहन कराने को अधिक प्रोत्साहन देने के निर्देश रहे है, इससे स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकते है।

वर्तमान में अधिकांश वन मंडलों में परिवहन का कार्य तेजी से चल रहा है। जिन परिवहन समूहों का निर्वतन नहीं हुआ है, उनमें यदि बैलागड़ी उपलब्ध हो तो बैलगाड़ी से परिवहन कराने का अधिक से अधिक प्रयास किया जाये।

बांस के परिवहन में बैलगाड़ी का उपयोग कई वन मंडलों में पूर्व में सफलता के साथ किया गया है। अतः बैलगाड़ी से बांस का परिवहन प्राथमिकता के आधार पर कराने का प्रयास करें। इस प्रकार जलाऊ लकड़ी का परिवहन कूप से न्यूक्लियस डिपो तक बैलगाड़ी से आसानी से कराया जा सकता है, अतः ऐसा परिवहन बैलगाड़ी से कराने के लिये विशेष प्रयास करें। इमारती लकड़ी का परिवहन भी कूपों से कम दूरी वाले डिपो में बैलगाड़ी से कराया जा सकता है।

इस संबंध में आप अधिनस्थ अधिकारियों के माध्यम से बैलगाड़ी से परिवहन के लिये अधिक से अधिक प्रयास कराये और बैलगाड़ी की परिवहन की दर का प्रचार–प्रसार भी समुचित रूप से करें।

संलग्नः–एक

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश भोपाल